

17

ख्या 1 लगायत 6 ने साफ इन्कार हो गये और धमकी दी कि इस बार हम तेरी भूमि में सीमा को खिसका कर काश्त करेगे तथा तुझे तेरी भूमि में काश्त नहीं करने देंगे। इस पर आवेदक ने तहसीलदार नवलगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.06.2022 को अपनी भूमि का रिकार्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया, उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि "मौके पर उपस्थित जनों के सामने खसरा नम्बर 1535/562 का नक्शा लट्ठा से फीता चलाकर सीमाज्ञान व सीमा चिन्ह करवाये गये।" जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की सीमाओं में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 जबरदस्ती छेड़छाड़ कर सीमा में पत्थर नहीं लगाने दे रहे हैं। तथा सीमा को दबा लिया है। और आये दिन अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 से लड़ाई झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती है प्रार्थी/आवेदक शांतिप्रिय व्यक्ति है, जो कानून में विश्वास रखता है अगर आवेदक की भूमि की पत्थरी गड़ड़ी नहीं की जाती है तो आवेदक के साथ घोर अन्याय होगा तथा आवेदक को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए आवेदक की भूमि की पत्थर गड़ड़ी करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी हालत में प्रार्थी/आवेदक के लिए यह प्रार्थना पत्र पत्थरगड़ड़ी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 1535/562 रकबा 0.1100 हैक्टर जो वाके ग्राम गोठड़ा का राजस्व रिकार्ड के मुताबिक व सीमाज्ञान द्वारा सीमाचिन्ह के अनुसार मौके पर रकबा पत्थरगड़ड़ी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण को जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 2, 4 लगायत 10 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा अनावेदकगण संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत ने अपना वकालत नामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

अनावेदक संख्या 1 व 3 की ओर से वाके ग्राम गोठड़ा में भूमि खसरा नम्बर 1535/562 होना स्वीकार है किसी खातेदारी में है, यह जानकारी नहीं है। उक्त भूमि से आवेदक का क्या संबंध है, किसकी खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, इसके संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं करने के कारण से जवाब दिया जाना संभव नहीं है।

स्वर्गीय सवाई सिंह ने अपने रूपये खर्च कर भूमि खसरा नम्बर 561 क्रय की थी, इस भूमि को आवेदक के द्वारा जानबूझकर मुन्नी कंवर पुत्री अगर सिंह से षडयंत्र रचकर मुन्नी कंवर पत्नी इन्द्र सिंह की भूमि दर्शाते हुए गलत रूप से साक्ष्य एकत्रित करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है मुन्नी कंवर पत्नी इन्द्र सिंह का भूमि खसरा नम्बर 561 से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके संबंध में उनवानी दावा नरेन्द्र सिंह बनाम बलवीर सिंह बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती विचाराधीन है आवेदक एक तरफ अपने प्रार्थना पत्र में तथाकथित मुन्नी कंवर पत्नी इन्द्र सिंह भूमि खसरा नम्बर 561 बताते हुए ग्राम काशीड़ा तहसील नावा का स्थाई निवासी बता रहा है तो दूसरी तरफ उसके तथाकथित विधिक वारिसान 07 लगायत 09 को गिंगालिया तहसील मकराना का स्थाई निवासी बता रहा है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया है चूंकि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग गांव/तहसील के स्थाई निवासी नहीं हो सकते हैं। स्वअर्जित सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति बताने के लिए विचाराधीन वाद में साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया है, आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि खसरा नम्बर 561 को स्वर्गीय मुन्नी कंवर पत्नी इन्द्र सिंह की माना है तो अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 का भूमि खसरा नम्बर 561 से क्या सम्बन्ध है, प्रार्थना पत्र में क्यों पक्षकार बनाया है इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

आवेदक द्वारा आने प्रार्थना पत्र में साज रचकर अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 के पिता की स्व अर्जित सम्पत्ति की भूमि को मुन्नी कंवर पत्नी इन्द्र सिंह की बताने का गलत प्रयास किया है इसी उद्देश्य के लिए न्यायालय में गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी भूमि के चारो तरफ सीमा बनी हुई होने का तथ्य स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र नरेन्द्र सिंह बनाम बलवीर सिंह में उनवारी दावा में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया है, मौके पर न तो सीमा विवाद है, न ही कभी पूर्व में

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

सीमा को लेकर विवाद हुआ नहीं आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया कि किस तिथि मिति को अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया आदि स्पष्ट उल्लेख नहीं करने के कारण से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त उतर में कथन किया कि प्रार्थी की भूमि के साथ-साथ अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 561 की नपती किये बगैर न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, मौके पर प्रार्थी दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि पर ही अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्षा पूर्व पत्थरगड्डी की गई थी जो मौके पर आज भी मौजूद है।

सीमाज्ञान फद रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा किस पोईन्ट से सीमाज्ञान किया, इसी फिल्ड बुक तैयार किये बगैर गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट रामसिंह से सांठ-गांठ कर साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाकर दी है जिससे प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना न्यायोचित है।

सीमाज्ञान करने से पूर्व न तो अनावेदकगण को नोटिस दिया न ही अनावेदकगण की सहमति प्राप्त की, मात्र अवैध प्रतिफल प्राप्त कर हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर आवेदक के कहे अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने के कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा दिनांक 04.06.2022 को करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया। वकील अनावेदक संख्या 01 व 03 ने बहस आवेदक का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 04.06.2022 को हुये सीमाज्ञान उचित नहीं होने से पत्थरगड्डी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी की भूमि के साथ-साथ अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 561 की नपती किये बगैर न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, मौके पर प्रार्थी दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि पर ही अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्षा पूर्व पत्थरगड्डी की गई थी जो मौके पर आज भी मौजूद है। सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा किस पोईन्ट से सीमाज्ञान किया, इसी फिल्ड बुक तैयार किये बगैर गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट रामसिंह से सांठ-गांठ कर साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाकर दी है जिससे प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना न्यायोचित है।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि वाके ग्राम गोठडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1535/562 रकबा 0.1100 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी आवेदक के नाम दर्ज रिकार्ड होकर आवेदक की ही खातेदारी काश्त की भूमि है। ग्राम गोठडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1535/562 रकबा 0.1100 हैक्टर भूमि के पश्चिम में खसरा नम्बर 562 है, उक्त खसरा नम्बर 562 से विभाजन होकर बट्टा नम्बर 1535/562 आवेदक के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 1535/562 के उतर व पूर्व दिशा में सड़क है तथा दक्षिण दिशा में अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 व मुन्नी कंवर पुत्री अगर सिंह की भूमि खसरा नम्बर 561 है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 561 की खातेदार मुन्नी कंवर पुत्री अगर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीसान अनावेदक नम्बर 7 लगायत 9 है। वकील अनावेदक ने अपने जवाब बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ (24)2017 Page no. 270 आदि पेश किये।


चूंकि तहसीलदार नवलगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.06.2022 को विवादित भूमि का रिकार्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया जा चुका है उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि "मौके पर उपस्थित जनो के सामने खसरा नम्बर 1535/562 का नक्शा लट्टा से फीता चलाकर सीमाज्ञान व सीमा चिन्ह करवाये गये।" पक्षकारानो के मध्य सीमोओ को लेकर लड़ाई झगडा होने की सम्भावना बनी रहती है। यदि आवेदक की भूमि की पत्थरी गड्डी नहीं की जाती है तो आवेदक के साथ अन्याय एवं कुठाराघात होगा तथा आवेदक को अपनी भूमि से वंचित होना पड सकता है। इसलिए आवेदक की भूमि की पत्थर गड्डी करवाया जाना आवश्यक है न्यायोचित है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 04.06.2022 को कराये गये सीमाज्ञान के


ए. सी. ई. ए. (फा. ट्.)
नवलगढ़

अनुसार पत्थरगड्डी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1535/562 रकबा 0.1100 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 04.06.2022 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में आवेदक द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के पत्थरगड्डी करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2022 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फ़ास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला मुन्ड्युनू